(वाद सं0.-3809/4/26/2020)

28.07.2021

परिवादी, गिरजा नन्दन शर्मा, बर्खास्त अ0नि0(स0) बिहार सैन्य पुलिस–12, सहरसा IRB-2, कैम्प–कटिहार, अपने पुत्र के साथ उपस्थित है।

परिवादी को सुना व संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला सेवानिवृत्ति के मात्र दो दिन पूर्व, साजिश के तहत भगोड़ा होने, नशा का सेवन करने के आरोप में उत्पाद विभाग के छापामारी दल द्वारा पकड़े जाने का आरोप लगाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने, अब तक सेवान्त लाभ का भुगतान न किये जाने व बर्खास्तगी के विरूद्व दायर की गई अपील पर पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना द्वारा जानबुझ कर सुनवाई न कर मानसिक रूप से प्रताड़ित किये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में **पुलिस महानिरीक्षक, बिहार सैन्य पुलिस, बिहार, पटना** के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उनके द्वारा दिनांक–16.09.2020 को परिवादी द्वारा अपने बर्खास्तगी के विरूद्ध दाखिल अपील के सुनवाई के उपरान्त निम्नलिखित कार्यकारी आदेश पारित किया गया है–:

1. अनुशासनिक प्राधिकार पुलिस उप–महानिरीक्षक, सैन्य पुलिस(उ0मं0) द्वारा पारित दण्डादेश और उक्त आदेश के आलोक में समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस–12 सहरसा (आई0आर0बी0–2) द्वारा निर्गत बालादेश को निरस्त किया जाता है।

2. अनुशासनिक प्राधिकार, पुलिस उप–महानिरीक्षक, सैन्य पुलिस(उ0मं0) मुजफ्फरपुर जाँच प्राधिकार से प्राप्त मंतव्य की प्रति अपचारी को उपलब्ध कराएं और अपचारी को बचाव हेतु पर्याप्त अवसर देते हुए उनसे स्पष्टीकरण की मॉग करें।

3. अपचारी द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करने या युक्तियुक्त समय तक स्पष्टीकरण समर्पित नहीं करने पर सभी तथ्यों पर सम्यक विचारोपरान्त आदेश पारित करें जिसके लिए गए निर्णय पर पहुँचने का कारण स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो तथा वह तथ्यों पर आधारित हो।

4. निलम्बन अवधि का निपटारा विभागीय जाँच के फलाफल के आधार पर करें।

उक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की मांग की गई।

परिवादी का अपने प्रत्युत्तर में कथन है कि पुलिस महानिरीक्षक, बिहार सैन्य पुलिस, बिहार, पटना द्वारा उक्त अपीलीय आदेश में दिये गये निर्देश के आलोक में सितम्बर, 2020 से ही उसके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही है। विभागीय कार्यवाही मे परिवादी की ओर से अपना प्रतिरक्षा साक्ष्य भी दिया जा चुका है। विभागीय कार्यवाही के लंबित रहने के कारण उसे अब तक सेवान्त लाभ का भुगतान नहीं किया जा रहा है और न ही नियमानुसार 90% पेंशन का भुगतान ही किया जा रहा है, जिससे उसे काफी परेशानी हो रही है।

परिवादी से प्राप्त प्रत्युत्तर (पृष्ठ–50–40/प0) तथा आज पारित आदेश की प्रति संलग्न कर **पुलिस महानिरीक्षक, बिहार सैन्य पुलिस, बिहार,**

पटना से यह अनुरोध किया जाय कि मामले के तथ्यों व परिस्थितियों पर विचार करते हुए उनके द्वारा संबंधित प्राधिकार (अनुशासनिक प्राधिकार) को ,

युक्तिसंगत समय सीमा के भीतर, मामले का निरस्तारण करने हेतु आवश्यक निर्देश दिया जाय।

उपरोक्त अनुशंसा के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर, प्रस्तुत संचिका को राज्य आयोग के स्तर पर संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार, पु**लिस महानिरीक्षक, बिहार सैन्य पुलिस, बिहार, पटना** को **आवश्यक क्रियार्थ** एवं **परिवादी** को **सूचनार्थ** हेतु सूचित किया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक